न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 23/2018 अपील

1. प्रेमा माली आत्मज भोलू माली निवासी डाबला कचरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य मार्फत हल्का पटवारी डाबरा कचरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित –

1. श्री रमेश चेचाणी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.05.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डाबला कचरा की बिलानाम आराजी नम्बर 20,21 व 23 किस्म बंजड भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का डाबला कचरा द्वारा पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया । उक्त मामले का विधिवत कोई नोटिस अपीलाण्ट को नहीं दिया गया । फिर भी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना लिखित जवाब पूर्व के नोटिसों की प्रतियों सहित प्रस्तुत कर सन् 2003 से चले आ रहे कब्जे काश्तसुदा भूमि को उसके पक्ष में नियमन कराने हेतु सक्षम अधिकारी /अलोटमेण्ट कमेटी को भिजवाने का निवेदन किया , किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाण्ट के उक्त जवाब व प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्ण अनदेखी करते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने व फसल जप्त सरकार कर निलाम किये जाने व शास्ति लगान का 50 गुना आरोपित करने का आदेश दिनांक 12.01.2018 को पारित कर दिया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध जारी नोटिस में पूर्व के अतिचार बाबत् कोई विवरण नहीं देकर रिक्त स्थान छोड़ते हुये भेजा है, जिसे कानूनन पश्चातवर्ती अतिक्रमण के बारे में नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार पूर्व में कब्जे सुदा भूमि कौनसी थी ? व पूर्व में किस भूमि से बेदखली की कार्यवाही की गयी ? आदि के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं हुयी। इस प्रकार पश्चातवर्ती अतिक्रमण का तथ्य साबित नहीं होते हुए भी अपीलाण्ट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित करना अवैध, विधि विरूद्ध एवं

गलत हैं । अपीलाण्ट को जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पूर्व में अतिक्रमण होने व उसको हटाने का कोई प्रलेख प्रदर्शित नहीं हुआ । अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब पर कोई विचार नहीं किया एवं अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का भी कोई अवसर नहीं दिया। अपीलाण्ट के विरूद्व मौके पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का तथ्य साबित नहीं हुआ, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना तरीके से अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए दण्डित करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः निवेदन हैं कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय व आदेश दिनांक 12.01.2018 को अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.02.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया ।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम डाबला कचरा की बिलानाम आराजी नम्बर 20,21 व 23 किस्म बंजड भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का डाबला कचरा द्वारा पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया । उक्त मामले का विधिवत कोई नोटिस अपीलाण्ट को नहीं दिया गया । फिर भी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना लिखित जवाब पूर्व के नोटिसों की प्रतियों सहित प्रस्तुत कर सन् 2003 से चले आ रहे कब्जे काश्तसुदा भूमि को उसके पक्ष में नियमन कराने हेतु सक्षम अधिकारी /अलोटमेण्ट कमेटी को भिजवाने का निवेदन किया , किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाण्ट के उक्त जवाब व प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्ण अनदेखी करते हुए अपीलाण्ट के विरूद्व उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने व फसल जप्त सरकार कर निलाम किये जाने व शास्ति लगान का 50 गुना आरोपित करने का आदेश दिनांक 12.01.2018 को पारित कर दिया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्व जारी नोटिस में पूर्व के अतिचार बाबत् कोई विवरण नहीं देकर रिक्त स्थान छोड़ते हुये भेजा है, जिसे कानूनन पश्चातवर्ती अतिक्रमण के बारे में नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार पूर्व में कब्जे सुदा भूमि कौनसी थी ? व पूर्व में किस भूमि से बेदखली की कार्यवाही की गयी ? आदि के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं हुयी। इस प्रकार पश्चातवर्ती अतिक्रमण का तथ्य साबित नहीं होते हुए भी अपीलाण्ट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित करना अवैध, विधि विरूद्व एवं गलत हैं । अपीलाण्ट को जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पूर्व में अतिक्रमण होने व उसको हटाने का कोई प्रलेख प्रदर्शित नहीं हुआ । अपीलाण्ट के विरूद्व मौके पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का तथ्य साबित नहीं हुआ, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना तरीके से अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए दण्डित करने में गंभीर त्रुटि की है। निवेदन हैं कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय व आदेश दिनांक 12.01.2018 को अपास्त फरमाया जावे ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्री प्रेमा पिता भोलू माली निवासी डाबला कचरा के द्वारा ग्राम डाबला कचरा के आराजी नं. 20, 21 व 23 रकबा 5.49 हैक्ट. भूमि किस्म बंजड में से 1.50 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण सं. 197/2017 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर प्रेमा पिता भोलू माली द्वारा पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 03 माह के सिविल कारावास एवं शास्ति 100/–रू. से दिनांक 12.01.2018 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हैं कि पटवारी हल्का डाबला कचरा द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्व ग्राम डाबरा कचरा तहसील शाहपुरा की आराजी नं0 20, 21 व 23 रकबा 1.5 हैक्ट. भूमि पर संवत् 2072 में भी प्रकरण न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा में दर्ज कराया गया एवं उक्त न्यायालय ने बेदखली के आदेश दिये। अपीलार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 03 माह के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के शास्ति लगान 1.50 का 50 गुणा 100/–रूपये के अधिरोपित कर वसूलने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सिद्व नहीं होने से खारिज की जाती हैं। तहसीलदार शाहपुरा के प्रकरण सं. 197/2017 निर्णय दिनांक 12.01.2018 को यथावत रखा जाता हैं । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.5.18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)